

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2018

विषय: जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध 08 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदीगण को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23944/सामा-1(3ए)/ब0स्था0/गो0परि0(टी-01)/2018, दिनांक 06-07-2018 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 08 (आठ) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्ध की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सि0/वि0 बंदी राजीव उर्फ राजू मिश्रा पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्रा	जि0का0गोरखपुर	जि0का0आजमगढ़
2	सि0/वि0 बंदी रमायन यादव पुत्र श्री दिलराज यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0बाराबंकी
3	सि0/वि0 बंदी शैलेश यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र यादव	जि0का0गोरखपुर	के0का0नैनी, इलाहाबाद
4	वि0 बंदी सैयद कमर खुशनूर उर्फ शेरू पुत्र श्री वहिदुल्ला	जि0का0गोरखपुर	जि0का0फैजाबाद
5	वि0 बंदी विठ्ठल सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र श्री अमरेश सिंह	जि0का0गोरखपुर	जि0का0बलरामपुर
6	वि0 बंदी रिकू उर्फ आशुतोष पाण्डेय पुत्र श्री मिथिलेश पाण्डेय	जि0का0गोरखपुर	जि0का0लखनऊ
7	वि0 बंदी गौरव उर्फ गामा पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव	जि0का0गोरखपुर	जि0का0कौशाम्बी
8	वि0 बंदी सुवाष यादव पुत्र श्री हरिनारायन यादव	जि0का0गोरखपुर	के0का0वाराणसी

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:59/2018/1432जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/आजमगढ़/बाराबंकी/इलाहाबाद/फैजाबाद/बलरामपुर/लखनऊ/कौशाम्बी/वाराणसी।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/इलाहाबाद/फैजाबाद/लखनऊ/वाराणसी एवं पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़/बाराबंकी/बलरामपुर/कौशाम्बी।
- 5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद/वाराणसी।
- 6- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर/फैजाबाद/लखनऊ एवं अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़/बाराबंकी/बलरामपुर/कौशाम्बी।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।